फर्द अहकाम

कालू बनाम नाथी

यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.12.2024	~~दावा 258/2024~~ यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 27.12.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	
7/1/25	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता गैर-हाजिर। वादीगण स्वयं गैर हाजिर। न्यायालय समय तक बार बार आवाजे लगवाई गई परन्तु ना तो वादीगण स्वयं हाजिर हुये ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता आदि हाजिर हुये ऐसी स्थिति में वादपत्र को आगे जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	